



Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.

(A Government of India Enterprises)

5th Floor, Pragati Maidan, Metro Station Building Complex, New Delhi- 110001
Corporate Identity Number U60232DL2006GOI155068 Web:

www.dfccil.gov.in

No.2017/HQ/Admin/RTI-67

New Delhi: 14.08.2017

Sh. Ajit Singh,
S/o Shri Devi Prasad Kushwaha,
10/2, Juhi Safed Colony,
Kanpur (Uttar Pradesh)-208 014.

Dear Applicant,

Sub: सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना सुलभ कराना।

Providing information under the RTI Act 2005

Ref: 1. Original application dt. 10.03.2017 received on 17.03.2017 from Shri Ajit Singh R/o Kanpur, U.P.
2. Your Appeal dated 02.06.2017 received on 14.06.2017

संबंधित कार्यालय से प्राप्त उत्तर/ received reply from the concerned office:

क्रम सं.	Information required	उपलब्ध जानकारी
1	Item A(i)	इस बिन्दु में चाही गई सूचना के संबंध में अवगत कराना है कि विशेष रेल परियोजना द्वारा प्रार्थी की भूमि गाटा 236 ग्राम अम्बियापुर, तहसील-डैरापुर, जिला-कानपुर देहात से आवश्यक भूमि का अधिग्रहण किया है, जबकि प्रार्थी द्वारा पूरे ग्राम का लैण्ड मैप की मांग की जा रही है जिसमें अन्य सभी प्रभावित भूस्वामियों में संबंधित हितबद्ध सूचना सन्निहित है, जिसे नियमानुसार उनकी सहमति के बिना नहीं दिया जा सकता है। प्रार्थी द्वारा राजस्व नक्शा, जिसमें रेलवे लाइन दर्शाई है की प्रमाणित प्रति भी मांगी गयी है। इस संबंध में कथन है कि उक्त राजस्व मैप की मूलप्रति जिला प्रशासन के नियंत्रण में है। अतः प्रमाणित प्रति वहीं से जारी की जा सकती है यहां यह भी स्पष्ट करना है कि डीएफसीसीआईएल द्वारा नवनिर्मित लाइनें जिला प्रशासन/कानपुर देहात के अधीन मूल राजस्व के मानचित्रों में अभी तक समावेशित नहीं की गई है।
2	Item A(ii)	इस बिन्दु में चाही गई सूचना अन्य भू-स्वामियों के हितों से संबंधित है। अतः यह सूचना उन भू-स्वामियों की सहमति के बिना नहीं दी जा सकती है।
3	Item A(iii)	इस बिन्दु में प्रार्थी का कथन है कि गाटा सं.-165 को 20ए अधिसूचना दिनांक 10.06.2008 को घोषित की गयी थी। ऐसा अवगत कराया गया था। जबकि प्रार्थी द्वारा यह जानकारी उनके पिछले पत्र दिनांक 22.02.2017 के बिन्दु 05 में गाटा सं.-165 को किस दर से प्रतिकर राशि दी गयी है, की प्रमाणित प्रति चाही थी, तथा अपील दिनांक 02.06.2017 में यह पूछा गया है कि 20ए दिनांक 10.06.2008 के उपरान्त 165 का अभिनिर्णय घोषित नहीं किया गया तो मूल एवार्ड को निरस्त मानते हुये पुनः एवार्ड प्रतिकर की राशि 190,000,00.00 की दर से प्रदान की गयी थी। इसमें स्पष्ट होता है कि प्रार्थी मूलतः उनकी स्वयं वर्णित जानकारी को प्रमाणित प्रति के रूप में प्राप्त करना चाहता है। इस संबंध में अवगत कराना है कि गाटा सं. 165 अन्य भू-स्वामी का है तथा उससे संबंधित प्रतिकर की जानकारी नियमानुसार गाटा सं. 165 के प्रभावित भू-स्वामियों की सहमति के बिना नहीं दी जा सकती है।
4	Item B(i)	(i) प्रार्थी इस बिन्दु में स्वयं वर्णित जानकारी की पुष्टि चाहता है। इस संबंध में अवगत कराना है कि पुनःगृहीत की गयी राजकीय भूमि के अर्जन हेतु प्रकाशित धारा 20ए का प्रकाशन अर्जन के इरादे को दर्शाता है ताकि संबंधित विभागों का भविष्य में होने वाले राजकीय कार्यों के लिए भू-उपयोग की जानकारी मिल जाए तथा तदुपरान्त राजस्व भूमि को रेलवे (संशोधित) अधिनियम 2008 से भिन्न राज्य सरकार के शासनादेशों के अन्तर्गत पुनःगृहीत किया जाता है। अतः प्रार्थी द्वारा अधिसूचना का निरस्त माना जाए या नहीं माना जाए का प्रश्न तर्कसंगत नहीं है।
	Item B(ii)	(ii) यह सूचना डीएफसीसीआईएल/इलाहाबाद कार्यालय से संबंधित है। उनसे यह जानकारी एकत्र की जा रही है और शीघ्र ही आपको दी जाएगी।
	Item B(iii)	(iii) यह जानकारी एकत्र करने का प्रयास किया जा रहा है और शीघ्र ही आपको यह जानकारी देने की व्यवस्था की जाएगी।

इसके साथ ही आपकी उपरोक्त अपील का आंशिक निस्तारण/निपटान किया जाता है। कृपया अपील के पूरे निस्तारण हेतु अगले पत्र की प्रतीक्षा करें।



सतीश
14/08/2017
(सतीश कोठारी)

(Satish Kothari)

ए महाप्रबंधक/प्रशासन
JM/Administration

email: skothari@dfcc.co.in

CC:

1. CPM/Agra (for information)
2. CPM/Allahabad (Necessary papers enclosed with a request to furnish reply to Point 3(ii) of the Appeal to this office so that the information is furnished to the appellant.)